

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, नियमावली, 2017

(तृतीय संशोधन दिनांक 29 सितम्बर, 2025 तक संशोधित)

1. प्रथम संशोधन संख्या 436/86-2020-132-2016 टी0सी0-II, दिनांक 18.03.2020.
2. द्वितीय संशोधन संख्या 876/86-2021-132-2016, दिनांक 17.08.2021.
3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 9-ख की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15क एवम् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 489/86-2017-132/2016 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों की संरचना और उनके कृत्यों का विनियमन करने और खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 कही जायेगी; (2) यह खनिज तेल को छोड़ कर समस्त खनिजों के लिये लागू होगी ; (3) यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ;
परिभाषाएं	2-	(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,— (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से है ; (ख) ³ ['प्रभावित क्षेत्र' का तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र जैसा कि नियम 2क और 2ख में विनिर्दिष्ट हो ।] (ग) ³ ['प्रभावित लोग' में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति सम्मिलित होंगे जैसा कि नियम 2ग विनिर्दिष्ट हो ।] (घ) 'निधि' का तात्पर्य न्यास की निधि से है ; (ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; (च) 'परिहार धारको' का तात्पर्य अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञा पत्र के धारक से है ; (छ) 'खनिज और उपखनिज' का तात्पर्य ऐसे खनिजों से है, जो अधिनियम की धारा-3 में परिभाषित है ; (ज) ³ [नियमावली, 2021 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 से है ;] (झ) ³ ['अनुसूची' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची से है ;] (ञ) 'न्यास' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या-489/86-2017-132/2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में ³ [अधिसूचित] जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास से है ; (ट) 'न्यास विलेख' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख से है ;

(ठ) 'न्यासी/न्यासीगण' का तात्पर्य न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से है।

(2) ³[इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम व नियमावली 2021 में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।]

प्रत्यक्ष रूप से ^{3A}[(2क)
प्रभावित क्षेत्र

(1) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(क) ग्राम और ग्राम पंचायतें या शहरी स्थानीय निकाय (यू0एल0बी0) जिनके भीतर खाने अवस्थित हैं और प्रचालनरत हैं। ऐसे खनन क्षेत्र जिले के भीतर पड़ोसी गांव/कस्बे/ब्लॉक तक विस्तृत हो सकते हैं।

(ख) किसी खान या खान समूह से राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परिधि में आने वाला क्षेत्र।
परन्तु यह कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र, खनिज की खान सीमा से 15 किमी से अधिक विस्तृत नहीं होगा।

(ग) जिन गांवों/वार्डों में खानों से विस्थापित हुये परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनः बसाया/पुनर्वासित किया गया हो।

(घ) जो गांव/वार्ड अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिये विशेष रूप से खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं और उनके पास चारागाह, लघु वनोपज संग्रहण आदि जैसे परियोजना क्षेत्रों पर उपभोग और परम्परागत अधिकार हो।

(2) जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र की अद्यतन सूची तैयार करेगा और अनुरक्षण करेगा।^{3A}

अप्रत्यक्ष रूप से ^{3A}[(2ख)
प्रभावित क्षेत्र

(1) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(क) वे क्षेत्र जहाँ खनिजों के खनन सम्बन्धी कार्यों से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण स्थानीय आबादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। खनन के प्रमुख नकरात्मक प्रभाव जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता में गिरावट, धारा प्रवाह में कमी और भूजल की कमी, खनन कार्यों में भीड़ और प्रदूषण, खनिजों के ढुलाई, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर बड़े हुये भार के रूप में हो सकते हैं।

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

(ख) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र से परे और किसी खान या खानों के समूह से ऐसे परिधि के भीतर का क्षेत्र, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु खनिज की खानों की सीमा से 25 किमी से अधिक नहीं हो।

(2) जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और अनुरक्षण करेगा।^{3A}

प्रभावित लोग ^{3A}[(2ग)

(1) 'प्रभावित लोग' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति जो निम्नानुसार होंगे :

(एक) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या- 30 सन् 2013) की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित 'प्रभावित परिवार'

(दो) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या- 30 सन् 2013) की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित 'विस्थापित परिवार'

(तीन) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा उचित रूप से यथा अभिचिन्हित कोई अन्य लोग।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्ति जिनके पास खनन की जा रही भूमि पर वैधानिक, व्यावसायिक अधिकार हो, उपभोग और पारम्परिक अधिकार वाले लोग, और वे लोग जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई हो।

(2) यथासंभव प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रभावित परिवारों की पहचान किया जाएगा।

(3) जिला खनिज फाउण्डेशन (डी एम एफ) ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा। सूची को प्रत्येक 05 वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन करने के लिए दोबारा तैयार किया जाएगा।^{3A}

न्यास के उद्देश्य 3— न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

- (एक) 'खनन संक्रियाओं' या अन्य सम्बन्धित क्रिया कलाओं एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिये कार्य करना;
- (दो) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिये जिला खनिज फाउन्डेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना ;
- (तीन) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना ;

न्यास की संरचना और प्रबन्धन 4— ³[न्यास की संरचना और प्रबन्धन निम्नानुसार होगा :—

- (1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;
- (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;
- (3) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क)	जिलाधिकारी / कलेक्टर	अध्यक्ष
(ख)	प्रभागीय वन अधिकारी	पदेन सदस्य
(ग)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	पदेन सदस्य
(घ)	अधिशायी अभियन्ता ² [लोक] निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
(ङ)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
(च)	जिला पंचायत राज अधिकारी	पदेन सदस्य
(छ)	जिला खनन अधिकारी	पदेन सदस्य / सचिव
(ज)	जिला अधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट दो खनन पट्टा धारक	गैर सरकारी सदस्य
(झ)	खनिज का उपयोग करने वाली संस्था, यदि कोई हो, का प्रतिनिधि	गैर सरकारी सदस्य
(ञ)	जिला अधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि	गैर सरकारी सदस्य

- ^{2A}[(ट) (एक) किसी जिले में लोक सभा में सांसद का सदस्य (सांसद) होने की स्थिति में, सांसद, शासी परिषद् का सदस्य होगा। यदि किसी जिले में एक से अधिक लोक सभा सांसद हो तो वह सभी सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में खनन प्रभावित क्षेत्र हो, शासी परिषद् के सदस्य होंगे।

2A. द्वितीय संशोधन संख्या 876/86-2021-132-2016, दिनांक 17.08.2021. (जोड़ा गया)

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

यदि एक लोक सभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता है तो सांसद ऐसे सभी जिलों की शासी परिषद् का सदस्य होगा/होगी जहां खनन प्रभावित क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो।

- (दो) राज्य से, राज्य सभा सांसद स्वयं द्वारा चयनित एक जिले की शासी परिषद् का सदस्य होगा/होगी।

राज्यसभा सांसद स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम, राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करना होगा, जो बाद में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बन्ध में सूचित करेगा।

- (तीन) जिले के विधान सभा सदस्य (विधायक) जिनके निर्वाचन क्षेत्र में खनन प्रभावित क्षेत्र हो, शासी परिषद् का सदस्य होंगे।

- (चार) राज्य विधान परिषद् के सदस्य (एमएलसी) स्वयं द्वारा चयनित एक जिले के शासी परिषद् के सदस्य होंगे।

विधान परिषद् सदस्य (एमएलसी) स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेगा जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बन्ध में सूचित करेगा।^{2A}

- (4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष ²[का] होगा ।
(5) पदेन सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा/जायेगी ।
(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी :—

- (7) (क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे:—
(एक) जिलाधिकारी/कलेक्टर

अध्यक्ष

(दो)	अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)	पदेन सदस्य
(तीन)	जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक उपजिलाधिकारी	पदेन सदस्य
(चार)	जिला खनन अधिकारी	पदेन सदस्य/सचिव

- (8) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।³

न्यास के कृत्य 5—

- (1) नियम-4 में यथाउल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में समय-समय पर बैठकें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेंगी और यथासम्भव ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी ;
- (2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिये प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के परामर्श से सम्बन्धित खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे ;
- (3) प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगा :—
 - (क) क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना उदाहरणार्थ पहुँच मार्ग की निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्ड पम्प तथा अन्य लोक उपयोगी कार्य ;
 - (ख) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारों ओर सामान्य वृक्षारोपण ;
 - (ग) खनिज विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रिया कलाप।
- (4) न्यास की बैठक में खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत कर सकता है;
- (5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातिय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी;

शासी परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य 6—

शासी परिषद् निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी —

- (एक) न्यास की कार्यप्रणाली के लिये नीतिगत रूप रेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना,
- (दो) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना तथा अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी।³ पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ) की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद् वार्षिक कार्य योजना, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तथा बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना व पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तथा बजट तैयार करने और तदनिमित्त कारण अभिलिखित करते हुये उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप में तैयार किया गया एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा:

परन्तु यह कि अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिये पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिये न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अन्तर्प्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।]³

(तीन) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय,

(चार) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।

(पाँच) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 3[90] दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्ट और सम्परिक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद् की बैठक 7—

(एक) शासी परिषद् प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।³ शासी परिषद् की बैठक की तिथि संसद सदस्यों, जो शासी परिषद् का सदस्य होंगे, की सुविधा अनुसार निर्धारित की जायेगी।]

(दो) शासी परिषद् की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी।

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

(तीन) ऐसी बैठक के लिये गणपति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

- प्रबन्ध समिति की बैठक 8— किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय;
- प्रबन्ध समिति की शक्तियों और कृत्य 9— **प्रबन्ध समिति—**
- (एक) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक् रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;
- (दो) अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित खनन पट्टाधारकों से सामयिक अंश दान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;
- (तीन) न्यास के क्रिया कलापों के लिये महायोजना/ दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी;
- (चार) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना, ³[पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना] और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;
- (पाँच) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा ³[पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना] का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी।
- (छः) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि जारी करेगी तथा आहरित करेगी ;
- (सात) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलेगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी;
- (आठ) न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी;
- (नौ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के ³[90] दिन के भीतर शासी परिषद् के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

- (दस) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिये आवश्यक हो;
- (ग्यारह) न्यास की कार्य प्रणाली के लिये प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

(1) मुख्य खनिजों के मामले में :—

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टा के धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि से अनधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा के केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अध्यक्षीन होगा;

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टा के धारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बंधनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिज के मामले में :—

प्रत्येक खनिज परिहार/अनुज्ञा पत्र धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास कसे ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो स्वामित्व धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय;

(3) सम्बन्धित खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक न्यास निधि हेतु संग्रह करने के लिये उत्तरदायी होगा और उसे न्यास द्वारा यथा विनिश्चित किये गये किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में उक्त धनराशि को जमा करना होगा;

न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा :—

(एक) ³[नियम 17 में उल्लिखित, अनुमोदित कार्यों पर व्यय।]

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

(दो) ³[न्यास की वार्षिक प्राप्ति का 05 प्रतिशत तक की धनराशि का उपयोग फाउंडेशन के प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागतों पर व्यय किया जा सकता है।]

- (1) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिये न्यास निधि के सम्बन्ध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी,
- (2) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर डी0एम0एफ0 द्वारा नियुक्त किसी अर्ह चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा की जायेगी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ न्यास क वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।
- (3) न्यास के चार्टर्ड एकाउण्टेंट की नियुक्ति, शासी परिषद की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी।
- (4) चार्टर्ड एकाउण्टेंट को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- (5) न्यास को एक वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट निदेशक, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (6) न्यास, इस नियमावली के नियम 9 (नौ) के अनुसार अपने अनुमोदन के दिनांक से एक माह के भीतर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रस्तुत करेगा तथा इसे न्यास की वेबसाइट पर डाला जायेगा।
- (7) न्यास, के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, (सी0ए0जी0) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से की जा सकती है।
- (8) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखापरीक्षक से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकती है।
- (9) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिये योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

- (10) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के भीतर भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल सम्बन्धित वेबसाइट

पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।³

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| न्यास का प्रबन्ध | 13— | न्यास का प्रबन्ध शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे तथापि न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध, नियम 4 के उपनियम (7) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चय कर सकती हैं। |
| न्यासियों के विनिश्चय | 14— | <p>(1) शासी परिषद् की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेंगी।</p> <p>(2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।</p> <p>(3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति न प्रदान कर दी जाय तब तक न्यासीगण को न्यास के विलेख के किसी भाग में संशोधन नहीं करना होगा।</p> <p>(4) न्यासीगण, शासी परिषद और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्ग दर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।</p> |
| न्यास निधि का संचालन | 15— | न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा। |
| न्यास की परिधि | ³ [16— | <p>(1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (प्र0ख0क्षे0क0यो0) और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिये प्रोद्भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(2) उक्त योजना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्ननुसार है,—</p> |

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास सम्बन्धी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे।

- (ख) खनन वाले जिलों में लोगो के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना।
- (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगो के लिये दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।³

^{3A}[(3) प्रदूषण भुगतान सिद्धान्त के अधीन किये जाने वाले कार्यकलापों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई) के अधीन नहीं किया जायेगा।

(4) डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। योजनाएं तैयार करते समय, डीएमएफ आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम के अधीन लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देंगे।

(5) न्यास सुनिश्चित करेगा कि फण्ड के उपयोग की पुनरावृत्ति न हो।]^{3A}

न्यास निधि का उपयोग 17— न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा :—

(i) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र – कम से कम ³[70] प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :—

(क) **पेयजल आपूर्ति** – केन्द्रीयकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, ³[पेयजल के लिये स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित] स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, ³[पाईप जलापूर्ति प्रणाली की स्थापना;]

(ख) **पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय** – वहिःस्त्रोत उपचार संयंत्र, क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य ²[जलस्त्रोत के प्रदूषण की रोकथाम], खनन संक्रियाये और भंडारणों ¹[से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय], खान जल निकास प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण

-
1. प्रथम संशोधन संख्या 436/86-2020-132-2016 टी0सी0-II, दिनांक 18.03.2020.
 2. द्वितीय संशोधन संख्या 876/86-2021-132-2016, दिनांक 17.08.2021.
 3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.
 - 3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

¹[तकनीकें], कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिये उपाय, ¹[अन्य वायु जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के] ²[उपाय], पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु ¹[वैज्ञानिक ²[दृष्टिकोण से] जिला संर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के ²[दृष्टिकोण से] अवैध खनन/परिवहन पर ³[प्रभावी] नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी

अवसंरचानाओं के सृजन ³[के कार्य के अन्तर्गत] आवश्यक उपकरण एवं कर्मचारी उपलब्ध कराना।]¹ ³[खनिज विशिष्ट प्रदूषकों और उनकी हानिकारक क्षमता की पहचान प्रतिष्ठित, शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों को अन्तर्ग्रस्त करके की जा सकती है। निधि को खतरों की पहचान करने, वायु गुणवत्ता मानिटर एवं डिस्प्ले स्थापित करने और अनुसंधान की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिये आवंटित किया जा सकता है।]³

- (ग) **स्वास्थ्य देखभाल** – ³[उन लोगों पर ध्यान अवश्य केन्द्रित किया जाना चाहिये जिनका स्वास्थ्य खनन के कारण प्रभावित होता है,] प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, ³[चिकित्सक/पैरामेडिकल/सहायक स्टाफ)] उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये।

उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय ³[खनिक] स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल ³[मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों] के लिये आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना, ³[खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये क्रियान्वित की जा सकती है।]

- (घ) **शिक्षा** – ³[स्कूल/कॉलेज/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भवन,] विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के

-
1. प्रथम संशोधन संख्या 436/86-2020-132-2016 टी0सी0-II, दिनांक 18.03.2020.
 2. द्वितीय संशोधन संख्या 876/86-2021-132-2016, दिनांक 17.08.2021.
 3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, ³[इंटरनेट के माध्यम से] शिक्षण व्यवस्था], परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना। ³[उच्च शिक्षा के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त

करने के लिये प्रभावित क्षेत्रों के छात्र एवं छात्राओं को वित्तीय सहायता ।]

(ड) **महिला एवं बाल कल्याण** – मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।

(च) **वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगो का कल्याण** – वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगो के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम ³ तथा जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रो (डीडीआरसी) को वित्तीय सहायता]

(छ) ³[कौशल विकास एवं आजीविका सृजन स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिये आजीविका अवलम्ब, आय सृजन और आर्थिक गतिविधियों हेतु कौशल विकास/परियोजनाओं /योजनाओं में प्रशिक्षण, व्यवसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों को सहायता और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया-कलापों हेतु अग्र और पश्च जुड़ाव का उपबन्ध, प्रभावित लोगो और क्षेत्रों की कला और शिल्प, लघु वन उपज का संग्रह और प्रसंस्करण को सुधारने और दिखाने के लिये काम करता है।]³

(ज) **स्वच्छता** – अपशिष्ट का संग्रह, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल ³[निकाय] और मल उपचार संयंत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध।

^{3A}[(झ) आवास- केन्द्र या राज्य परियोजनाओं के अधीन न होने वाले खनन प्रभावित लोगो के लिये पक्के आवास का उपबन्ध।

(ञ) **कृषि**– कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी से सम्बन्धित गतिविधियां/प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहायता, कृषक उत्पादन संगठनों (एफपीओ)/सामूहिक/सहकारी समितियों को सहायता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज सहित भण्डारण, बाजार यार्ड आदि जैसी विपणन सुविधाएं, वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण हेतु सहायता;

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

(ट) पशुपालन पशुधन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्सय पालन, चारा और चारे के विकास को बढ़ावा देना तथा पशुपालन किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ), में नवाचार का समर्थन करना।]^{3A}

(ii) **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र** – ³[30] प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :-

(क) **भौतिक अवसंरचना** – अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

(ख) सिंचाई चेक डैम और डार्यवर्जन वियर सहित सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना, ³[ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिये सहायता बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता।]

(ग) ³[ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास/फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास।]

(घ) **खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय –**

(एक) फाउन्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास।

(दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन।

(तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

(चार) ²[रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना :

2. द्वितीय संशोधन संख्या 876/86-2021-132-2016, दिनांक 17.08.2021.

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

³[परन्तु] यह है कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनाधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती है:

³[परन्तु यह और] कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण

के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा :]²

^{2A}[³परन्तु] यह भी है कि न्यास निधि या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाये।]^{2A}

^{3A}[(iii) कम से कम 70 प्रतिशत डीएमएफ निधियां केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में व्यय की जायेंगी जैसा कि नियम 2 (क) में विनिर्दिष्ट है।]

लेखा और संपरीक्षा	18—	³ [निकाल दिया गया]
न्यास को संदेय धनराशि का अनुश्रवण	19—	(1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्व धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा। (2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्व धनराशि संग्रहीत करने के लिये प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्सम्बन्धी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा। (3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।
प्रशासनिक व्यवस्था	20—	(एक) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।

2A. द्वितीय संशोधन संख्या 876/86-2021-132-2016, दिनांक 17.08.2021. (जोड़ा गया)

3. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025.

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

(दो) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार से सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने-अपने संवर्गों में बनी रहेगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकता है।

(तीन) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकता है।

न्यासियों का दायित्व	21—	(1) न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्ही विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे। (2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के सम्बन्ध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर उपेक्षा/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे तथापि प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी स्थिति में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होंगी।
पारिश्रमिक	22—	न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के लिये हकदार नहीं होंगे।
न्यास की मुहर	23—	न्यासीगण शासी परिषद् की बैठक में, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकते हैं और उन्हें समय-समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नया मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपभोग करने का प्राधिकार होगा।
प्रतिसंहरणीयता	24—	यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय। न्यास समाप्त होने के समय पर, न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगी।
पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना	3A[25—	(1) सभी प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कवरेज के लिए दीर्घकालिक योजना आवश्यक है। जिला खनिज फाउन्डेशन (डीएमएफ) निधियों का उपाय करके कार्यों के कार्यान्वयन हेतु निधियों के उचित उपयोग के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों/प्रसिद्ध संगठनों/एजेन्सियों के माध्यम से एक आधारभूत सर्वेक्षण करेंगे। ग्राम सभा/स्थानीय निकाय आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। डीएमएफ किसी विभाग द्वारा किये गये आधारभूत सर्वेक्षण, यदि उपलब्ध हो तो, का भी उपयोग कर सकता है। सर्वेक्षणों के सन्दर्भ और प्रमुख निष्कर्षों को जिले के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई) के तहत परिप्रेक्ष्य योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

- (2) बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी/आंकलन के माध्यम से यथा चिन्हित निष्कर्षों और अन्तरालों के आधार पर, डीएमएफ पाँच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा। उपलब्ध मौजूदा शेष राशि और पांच वर्ष की अवधि में डीएमएफ में सम्भावित संचय को ध्यान में रखते हुये पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी। पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को वर्षवार कार्य योजना में विभाजित किया जायेगा।
- (3) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में पेयजल स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण आदि जैसे सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सड़क सिंचाई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों पर अलग अलग खण्ड होंगे।
- (4) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डी0एम0एफ0 की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और डी0एम0एफ0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (5) प्रत्येक वर्ष शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जाने वाली डीएमएफ की वार्षिक योजनाएँ, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी। अत्यावश्यक समझे जाने वाले कुछ अन्य कार्य व व्यय को वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, यद्यपि वह परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया हो और ये वार्षिक योजना का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।
- (6) राज्य सरकार आधारभूत सर्वेक्षण करने और पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित संगठन/एजेंसियों/विश्वविद्यालयों को पैनल में रख सकती है।
- (7) शासी परिषद वित्त वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची सहित पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी देगी।^{3A}

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

डीएमएफ से 3A[26—
निधि अंतरण पर
प्रतिबंध

- (1) जिलों की डीएमएफ निधियों के संबंध में :-

(एक) जिला खनिज फाउन्डेशन से राज्य राजकोष या राज्य स्तरीय निधि या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधियों या योजनाओं में किसी भी रीति से कोई निधि अंतरित नहीं की जायेगी।

जिला खनिज फाउन्डेशन की निधि से राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा किसी व्यय की मंजूरी या अनुमोदन नहीं किया जायेगा।

(दो) नियम 2क व 2ख में यथा परिभाषित किसी जिले के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बाहर कोई भी निधि व्यय नहीं की जायेगी।

(तीन) किसी भी रीति से कोई भी निधि एक जिले से दूसरे जिले में अंतरित नहीं की जायेगी।

(2) डीएमएफ से निधियों के व्यय का अनुमोदन पूर्णतः डीएमएफ के शासी परिषद के पास होगा। राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति के पास परियोजनाओं की मंजूरी, निधियों/व्यय के अनुमोदन का व्यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुश्रवण तक सीमित होगा।^{3A}

पारदर्शिता एवं 3A[27—
जवाबदेही

(1) प्रत्येक फाउन्डेशन एक वेबसाइट/या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी और अद्यतन की जायेगी:—

(एक) डीएमएफ की शासी परिषद और प्रबन्ध समिति की संरचना का विवरण।

(दो) खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची (आवधिक अद्यतन सहित)।

(तीन) पट्टेदारों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण।

(चार) डीएमएफ की सभी बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)।

3A.

तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

(पाँच) दस्तावेज जारी होने के 30 दिनों के भीतर पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, अक्षय निधि के निवेश, वार्षिक योजनाएं और बजट, कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट का विवरण।

(छः) चालू कार्यों की ऑनलाइन स्थिति पीएमकेकेवाई के अधीन किये जा रहे सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति/प्रगति को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें कार्य का विवरण, लाभार्थियों की संख्या, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, प्रारंभ की अपेक्षित तिथि और कार्य

की समाप्ति, पिछली तिमाही तक की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति आदि शामिल होगा।

(सात) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों की सूची।

(आठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

(नौ) सोशल मीडिया, फिल्मों, वीडियो आदि के माध्यम से पीएमकेकेवाई के अधीन कार्यान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रमलाप।

(2) परियोजना का विवरण और स्वीकृत राशि परियोजना स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) जिला खनिज फाउन्डेशन (डीएमएफ) विहित प्रारूप और विनिर्दिष्ट रीति से जमा निधि और कार्यों के कार्यान्वयन सहित डीएमएफ के प्रदर्शन/निष्पादन से संबंधित सूचना राज्य सरकार और खनन मंत्रालय, भारत सरकार को साझा करेगा।

(4) डीएमएफ के प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक डी एम एफ को स्वीकृत परियोजनाओं, जारी की गयी निधियों और परियोजनाओं के निष्पादन के अनुश्रवण को केन्द्र सरकार द्वारा विकसित आनलाईन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।^{3A}

शिकायत
निवारण

3A[28—

(1) डीएमएफ एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी, जैसा कि अधिसूचित किया जाय को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उचित उत्तर दिया जायेगा।

3A.

तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

(2) राज्य सरकार किसी भी शिकायत/लोक शिकायत प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का निवारण डी एम एफ द्वारा किया जा रहा है और शिकायतकर्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित उत्तर दिया जा रहा है।^{3A}

अनुपालन तंत्र

3A[29—

(1) यदि, कोई डीएमएफ—

(क) नियम 32 में यथा आदेशाधीन अक्षय निधि बनाये रखने में विफल रहता है।

(ख) नियम 26 के उल्लंघन में कोई निधि अंतरित करता है।

- (ग) नियम 27 के किसी खण्ड का अनुपालन करने में विफल रहता है।
- (घ) नियम 12 (2) में यथा आदेशाधीन खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफल रहता है।
- (ङ) नियम 9 (नौ) तथा नियम 12 (6) में यथा आदेशाधीन वार्षिक रिपोर्ट करने और प्रकाशित करने में विफल रहता है।
- (च) नियम 28 में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है; राज्य सरकार निम्नलिखित निर्देश दे सकती है, —

(एक) किसी या सभी नए कार्यों की मंजूरी का निलंबन या पहले से स्वीकृत किसी या सभी कार्यों का निष्पादन; और या

(दो) उन बैंको जहां डीएमएफ निधि जमा की गई हो या निष्पादन एजेंसियों के बैंक खाते जहां डीएमएफ से निधियां अंतरित की गई हों, द्वारा किसी या सभी कार्यों के लिए निधि जारी करने को निरस्त करना।

- (2) राज्य सरकार का यह समाधान होने के बाद कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये गए हैं, ऐसे निलंबन को वापस ले सकती है।^{3A}

राज्य स्तरीय
निगरानी समिति

^{3A}[30—

- (1) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश, वित्त एवं योजना विभाग के सचिव तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे।

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

- (2) सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश जो राज्य में डी एम एफ का पर्यवेक्षण करेंगे वह राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- (3) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश राज्य में डीएमएफ की गतिविधियों की निगरानी के लिए “राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ प्रकोष्ठ” नामक एक प्रकोष्ठ का गठन करेगा और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
- (4) राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एस एल एम सी) की शक्तियों और कार्य—राज्य स्तरीय निगरानी पीएमकेकेवाई के अधीन डी एम एफ के प्रदर्शन

की निगरानी करेगी और पारदर्शिता मानदंडों, लेखा परीक्षा और डी एम एफ की वार्षिक रिपोर्ट का अनुपालन करेगी।

- (5) राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एस एल एम सी) की बैठकें—राज्य स्तरीय निगरानी समिति, वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगी।^{3A}

परियोजना,
प्रबन्धन इकाई

3A[31—

- (1) जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की क्षमता और जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह करने वाले जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास योजना, तकनीकी लेखांकन और निगरानी सहायता के लिये एक परियोजना प्रबन्धन इकाई स्थापित करेगा और इस परियोजना प्रबंधन इकाई की लागत प्रशासनिक व्यय से पूरी की जायेगी।
- (2) परियोजना प्रबंधन इकाई संविदात्मक आधार पर अपेक्षित योग्य कार्मिक को नियुक्त कर सकता है। पीएमकेकेवाई के अधीन परियोजनाओं के लिये कार्मिकों की नियुक्ति केवल सीमित अवधि के लिये पूर्णतया संविदात्मक होगी।
- (3) जहां तक सम्भव हो, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के अधीन कोई अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं किया जायेगा। न्यास द्वारा किसी भी अस्थायी/स्थायी पद के सृजन व वाहन की खरीद के लिये राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन होगा। तथापि न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।^{3A}

अक्षय निधि

3A[32—

- (1) जिन जिलों में वार्षिक संग्रह 10 करोड़ या उससे अधिक हो वह अक्षय निधि का अनुरक्षण करेंगे।
- (2) अक्षय निधि को सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डों तथा अनुसूचित बैंक में सावधि जमाओं (एफडी) के रूप में निवेश किया जा सकता है।

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

- (3) वार्षिक प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक की उचित राशि अक्षय निधि के रूप में रखी जायेगी तथा इसका उपयोग उन क्षेत्रों में सतत आजीविका प्रदान करने के लिए किया जायेगा, जहां खनिज की कमी सहित किसी कारण से खनन कार्य बन्द हो गया हो।^{3A}

कार्यों/संविदा
का कार्यान्वयन

3A[33—

- (1) कार्यों/सामानों की खरीद निविदा ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल द्वारा की जायेगी।
- (2) सभी निष्पादन एजेन्सियों एवं लाभार्थियों को निधि का अन्तरण केवल उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जायेगा।^{3A}

आज्ञा से,
(माला श्रीवास्तव)
सचिव।

3A. तृतीय संशोधन संख्या 2605/86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29.09.2025. (जोड़ा गया)

District Mineral Foundation Trust Rules, 2017

(Amended up to 29-09-2025)

1.	<i>DMF First Amendment Rules, 2020 vide No. 436/LXXXVI-2020-132-2016T.C.-II, dated 18.03.2020</i>
2.	<i>DMF Second Amendment Rules, 2021 vide No. 874/LXXXVI-2021-132-2016, dated 17.08.2021</i>
3.	<i>DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025</i>

Uttar Pradesh Shashan
Bhootatva Evam Khanikarm Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no 866/86-2017-132/2016, dated 03 May 2017

Notification

No. 866/86-2017-132-2016

Dated May 15, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Sections 9-B, 15 and 15-A of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act 67 of 1957), the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the composition and functions of the District Mineral Foundation Trusts established in Government Notification No. 489/86-2017-132-2016, dated April 25, 2017 and prescribing the manner for carrying development activities in the affected area of mining activities.

The Uttar Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2017

- | | | |
|---|----|--|
| Short title, extent and commencement | 1. | <div style="display: flex; align-items: flex-start;"><div style="margin-right: 10px;">(1)</div><div>(2)</div></div> <div style="margin-top: 10px;">(2)</div> <div style="margin-top: 10px;">(3)</div> |
| Definitions | 2. | <div style="display: flex; align-items: flex-start;"><div style="margin-right: 10px;">(1)</div><div>In these rules, unless the context otherwise requires,-</div></div> <div style="margin-top: 10px;">(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended from time to time;</div> <div style="margin-top: 10px;">(b) ³["<i>affected area</i>" means-Directly affected areas and indirectly affected areas as specified in rules 2A and 2B;]</div> <div style="margin-top: 10px;">(c) ³[Affected people shall include directly affected persons as specified in rules 2C;]</div> <div style="margin-top: 10px;">(d) "<i>Fund</i>" means the Fund of a Trust;</div> <div style="margin-top: 10px;">(e) "<i>Government</i>" means the State Government of Uttar Pradesh;</div> <div style="margin-top: 10px;">(f) "<i>holders of concessions</i>" means any holder of mining lease, prospecting licence or mining permit granted under the provisions of the Act and the rules made thereunder;</div> |

- (g) "*Minerals*" and "*Minor minerals*" means such minerals as defined in Section 3 of the Act;
- (h) ³["*Rules 2021*" means the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021;]
- (i) "*Schedule*" means a Schedule to the Act;
- (j) "*Trust*" means "*District Mineral Foundation*" Trust notified in Government Notification No. 489/86-2017-132-2016, dated April 25, 2017;
- (k) "*Trust Deed*" means the deed executed by the State Government in favour of the Trustees;
- (l) "*Trustee/Trustees*" means the person/persons appointed by the State Government for the purpose of governing the Trust;

(2) Word and expressions not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them under the Act and Rules of ³[2021].

Directly affected areas ^{3#}[2A.

(1) Directly affected areas Shall be, -

- (a) Villages and gram panchayats or Urban Local Bodies (ULBS) within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighbouring village/town/block within district;
- (b) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government:

Provided that directly affected area shall not extend beyond 15 km from the boundary of the mines of minerals;

- (c) Villages/wards in which families displaced by mines have been resettled/rehabilitated by the project authorities;
- (d) Villages/wards that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project are as, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc.]^{3#}

Indirectly affected areas

^{3#}[2B.

(1) Indirectly affected areas Shall be, -

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

3#. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

**Affected
people**

^{3#}[2C.

- (a) those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations of minerals. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources;
 - (b) an area beyond the directly affected area and within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, but not more than 25 km from boundary of mines of mineral.
- (2) The District Mineral Foundation (DMF) shall prepare and maintain an updated list of indirectly affected areas.]^{3#}
- (1) Affected people shall include,-
- (a) directly affected persons who shall be,-
 - (i) ‘affected family’ as defined under section 3© of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(Act no.30 of 2013);
 - (ii) ‘displaced family’ as defined under section 3(k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(Act no.30 of 2013);
 - (iii) any other people as appropriately identified by the concerned gram sabha/ Urban Local Bodies (ULBS) in directly or indirectly affected areas.
 - (b) persons affected by mining who have legal and occupational rights over the land being mined, people with usufruct and traditional rights; and those people whose livelihoods have been affected due to mining.
- (2) Affected families shall be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of gram sabha/Urban Local Bodies (ULBS) in directly or indirectly affected areas.

- (3) The District Mineral Foundation (DMF) shall prepare and maintain an updated list of such affected people/local communities. The list shall be revisited for updation at least once every 5 years."]^{3#}

Objectives of the Trust

3. The objectives of the trust will be :-
- (i) to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining operations or other related activities and transportation of minerals;
 - (ii) to utilize the funds collected in the District Mineral Foundation for the benefit of affected person or areas;
 - (iii) to utilize the funds on the advice of concern Gram Panchayat to develop the village road, watering place and other general facilities.

Composition and management of the Trust

4. ²[The composition and management of the Trust shall be –
- (1) The Trust shall consist of a Governing Council and a Managing Committee.
 - (2) The authority to manage the trust shall vest in the Governing Council.
 - (3) The Governing Council shall consist of, -
 - (a) District Officer/Collector ³[Chairpersons;]
 - (b) Divisional Forest Officer ³[Ex-officio Member;]
 - (c) Chief Medical Officer ³[Ex-officio;]
 - (d) Executive Engineer, Public Work Department ³[Ex-officio Member;]
 - (e) District Basic Education Officer ³[Ex-officio Member;]
 - (f) District Panchayati Raj Officer ³[Ex-officio Member;]
 - (g) District Mines Officer ³[Ex-officio Member Secretary;]

2. DMF Second Amendment Rules, 2021 vide No. 874/LXXXVI-2021-132-2016 , dated 17.08.2021
 3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

- (h) Two Mining Lease Holders as ³[Non-official Member] nominated by District Officer

(i) One representative of the Non-official
³[implementing agencies using Member]³
the minerals, if any, as nominated
by District Officer;

(j) Representative of the directly ³[Non-official
affected areas as nominated by Member]
District Officer

^{2#}[(k) (i) ³[In case of one member of
Parliament (MP) in the Lok
Sabha in a district. MP shall be a
member of Governing Council.]

³[In case there is more than one
MP of Lok Sabha in a district all
MPs having mining affected
areas as part of their constituency
shall be member of the Governing
Council.]

³[In case constituency of one MP
of Lok Sabha falls in more than
one district, MP shall be member
of Governing Council of all such
districts where mining affected
area is a part of his/her
constituency.]

(ii) Member of Parliament in
Rajya Sabha from the State
³[shall be the member of
Governing Council of one district
selected by him/her.]

The Member of Parliament
in Rajya Sabha shall intimate
name of the district selected by
³[him/her] to the Secretary in-
charge of the Mining Department
of the State, who in turn shall
inform about the same to the
concerned District Magistrate.

2#. DMF Second Amendment Rules, 2021 vide No. 874/LXXXVI-2021-132-2016 , dated 17.08.2021-
Inserted.
3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated
29.09.2025

(iii) The Member of Legislative
Assembly (MLAs) of the district
³[having mining affected area as

part of their constituency shall be the member of Governing Council.]

(iv) The Members of Legislative Council of the State (MLC) ³[shall be a member of Governing Council of one district selected by him/her.]

The MLC shall intimate name of the district selected by ³[him/her] to the Secretary in-charge of the Mining Department of the State, who in turn shall inform about the same to the concerned District Magistrate.]^{2#}

(4) The tenure of a non-official member shall be for three years.

(5) ³[Ex officio member shall cease to hold office when he/she ceases to hold the Government Post.]

(6) The day to day functioning of the Trust shall vest in the Managing Committee.

(7) (a) The Managing Committee shall consists of, -

(i) District Officer/Collector ³[Chairperson;]

(ii) Additional District Officer (Finance & Revenue) ³[Ex officio Member;]

(iii) One of the Sub Divisional Magistrate as nominated by District Officer ³[Ex officio Member;]

(iv) District Mines Officer ³[Ex officio Member Secretary]

³[(8) [The tenure of the Ex officio member of the managing Committee shall end when he/she ceases to hold the Government post.]]

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

Functions of the Trust

5. (1) Periodic meetings of the Trust in the presence of more than 50% member as mentioned in Rule 4 will be held under the Chairmanship of the District Officer and as far as possible, such meeting will be organized monthly.

- (2) Proposals for the benefit of the persons and area affected by mining operations shall be prepared and be submitted by concern Mining Officer/Mining Inspector in consultation with concerned department.
- (3) The proposal may be of following nature -
 - (a) Basic infrastructure of the area e.g. construction and maintenance of approaching road, electricity, sanitation, drinking water facility, hand pump and other public utility work;
 - (b) Common plantation in/around area affected by mining operations;
 - (c) Any other activities approved by the Trust in the interest of Mineral Development.
- (4) In the meeting of the Trust proposal submitted by the Mining Officer/Mining Inspector shall be examined. The Trust may approve, modify or reject the proposal.
- (5) In Scheduled Areas and Tribal Areas, recommendation of Gram Panchayat shall be obtained before implementation of the approval proposal by the Trust.

Powers and functions of the Governing Council

6. The Governing Council shall be responsible for, -
 - (i) laying down the broad policy framework for the functioning of the Trust and review its working from time to time;
 - (ii) drawing up and approving of Annual Action Plan and the Annual Budget of the Trust. The Annual Action Plan must be prepared and approved by the Governing Council at least one month before the commencement of the financial year. The Annual Action Plan shall contain the list of schemes and projects with the tentative provisions thereof: ³[The Five Year perspective plan shall be prepared and approved by the Governing Council of the District Mineral Foundation (DMF) and displayed on the website of the DMF:]³

Provided that if for any reason whatsoever, the Governing Council could not prepare and accord approval to the Annual Plan, ³[Five year perspective plan] and the Budget within the specified time, the ³[Chairperson] shall have power to prepare the Annual Action Plan, ³[Five Year Plan] and the Budget of the Trust and to approve the same recording the reasons therefore. The Budget so prepared shall be deemed to have been duly prepared and approved by the Governing Council:

Provided further that while preparing the Annual Plan for the next financial year, the sum total of the past commitment and liabilities spilling over shall be assessed. To maintain financial discipline and timely completion of project, the sum total of the past liabilities and commitments and the new schemes being proposed should not in any case exceed the three times the expected inflows in the Trust fund for the next financial year;

- (iii) approving such other expenditure, in furtherance of the objects of the Trust from the available Trust Fund in such manner as may be prescribed by the State Government;
- (iv) approving the recommendations of the Managing Committee;
- (v) approving the annual reports and audited accounts of the Trust within ³[90] days of the closure of the previous year.

Meeting of the Governing Council

- 7. (i) The Governing Council shall meet as often as necessary but at least once every quarter. ³[The date of Meeting of the Governing Council shall be fixed as per the convenience of the members of the parliament who are members of the Governing Council.]³
- (ii) The meeting of Governing Council shall be convened as directed by the Chairman.
- (iii) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Governing Council.

Meeting of the Managing Committee

- 8. The meeting of the Managing Committee shall be held at least six times in a financial year and it shall be convened as decided by the Chairman of the Managing Committee.

Powers and Functions of the Managing Committee

- 9. The Managing Committee shall, -
 - (i) exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interests of the Trust;
 - (ii) ensure timely collection of Contribution Fund from the concerned Mining Lease Holders in accordance with the provisions of the Act, Rules made thereunder and the guidelines of the Central Government and State Government issued from time to time;

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

- (iii) prepare the Master Plan/Vision Document for the activities of the Trust;

- (iv) assist in the preparation of the Annual Plan, ³[Five Year Perspective Plan] and the Annual Budget of the Trust along with the proposed Schemes and Projects;
- (v) supervise and ensure the execution of the Annual Plan and the approved Schemes and Projects;
- (vi) accord sanction to the projects, release and disburse the Trust Fund for the purpose;
- (vii) operate the Trust Fund and to invest the same in a diligent manner and to open Bank Accounts in the name of the Trust and operate such Accounts and Investments;
- (viii) monitor the progress of the utilization of Trust Fund;
- (ix) place the audited accounts along with an Annual Report before the Governing Council for its approval within ³[90] days of close of financial Year;
- (x) do all other things which are necessary for smooth functioning and management of the Trust;
- (xi) regulate the procedures for the functioning of the Trust.

Contribution to the Trust Fund

10.

- (1) In case of major minerals -
 - (a) the holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall in addition to the royalty, pay to the Trust of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to the categorisation of mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government;
 - (b) the holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 shall in addition to the royalty, pay to the Trust of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government.

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

- (2) In case of minor minerals:-

The holder of every mineral concession/permit shall in addition to the royalty, pay to the Trust of the district in

which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to 10% of royalty or as may be prescribed by the State Government from time to time.

- (3) Concern Mining Officer/Mining Inspector shall be responsible for collection of Trust Fund and shall deposit the same in Trust account opened in any scheduled bank as decided by the Trust.

**Expenditure
from the Trust
Fund**

- 11.** The funds available with the Trust Fund can be used for all or any of the following purposes : -

- (i) expenditure on the approved ³[works mentioned in Rules 17];
- (ii) upto 5% ³[of the annual receipt of the trust may be utilized for] the Administrative, ³[supervisory and overhead costs of the foundation.];

**Accounts and
Audit of the Trust**

³[**12.**

- (1) The Managing committee shall maintain and /or cause to be maintained proper books of accounts, documents and records with respect to the Trust Fund to give a true and fair picture of the affairs of the Trust;
- (2) The accounts of the Trust shall be audited every year by Chartered Accountant appointed by the DMF and the report thereof shall be placed on the website of the foundation along with the annual report;
- (3) The Chartered Accountant of the trust shall be appointed by the Trustees in the meeting of the Governing Council, on such terms and conditions as may be decided by the Trustees;
- (4) The Chartered Accountant may be replaced by the Trustees;
- (5) The Trust shall submit an annual report and compliance of the audit report to the Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh;
- (6) The Trust shall submit an annual report and compliance of the audit report to the Government, within one month from date of its approval as per Rule 9(ix) of these Rules and the same shall be placed on website of the foundation;

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

- (7) The accounts of the Trust, may be audited by the Comptroller and Auditor General (CAG) as per schedule decided by (CAG) in consultation with State Government;
- (8) Notwithstanding anything to the contrary in sub- rule (1) the State Government may appoint a Chartered Accountant

or may request the Auditor General (A.G.) for audit of a particular year or period on such terms as may be decided by the State Government;

- (9) The Trust shall forward the approved Budget and Annual Plan along with Schemes and Projects for the next financial year to the District Panchayat. District Administration for publication on their respective website.
- (10) The Trust shall prepare a quarterly progress report in physical and financial terms in respect of the approved Schemes and Projects within 45 days of the close of the quarter and forward it to the District Panchayat and Administration for publication on their respective website.]³

Management of the Trust **13.** The management of the trust shall vest in a Governing Council, which shall consist of all the members of the Trust. However, the day to day management of the Trust shall be managed by a Managing Committee, as defined in sub-rule (7) of Rule 4 above. The State Government may however decide to alter the composition of the Managing Committee at any time.

Decisions of the Trustees **14.**

- (1) All decisions shall be taken by the Trustees in the meeting of the Governing Council and every meeting of the Governing Council shall be deemed to be a meeting of the Trust.
- (2) All decisions of the Governing Council shall be taken by the majority of the members present and voting. In case of tie the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (3) Unless agreed by the State Government the Trustees shall not amend any part of the Trust Deed.
- (4) Trustees, Governing Council and the Managing Committee shall act in accordance with the directions, guidelines etc. issued by the State Government from time to time.

Operation of the Trust Fund

15. The Trust fund shall be kept in any scheduled Commercial Nationalised Bank only in the name of the Trust. The bank account shall be opened with the prior approval of State Government and the account thereof shall be operated under the joint signatures of the Member - Secretary and a member of the Managing Committee authorised by the Managing Committee. The Trust shall maintain the books of account of this Fund.

Scope of the 16. (1) The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Yojana (PMKKY) and other welfare schemes of the State and Central Government shall be implemented by the Trust of the respective districts using the funds accruing to the Trust. ³[Omitted]

³[(2) [The overall objective of the said yojana and other welfare schemes of the State and Central Government shall be, -

- (a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas, and such projects/programs will be complement to the existing ongoing schemes/projects of the State and the Central Government.
- (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and
- (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.]³

^{3#}[(3) Activities meant to be taken up under the "Polluter Pays Principle" shall not be taken up under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)

(4) The DMFs shall focus on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in mining affected areas. While formulating schemes, DMFs will give priority to achieving targets under Aspirational Districts Programme and Aspirational Block Programme.

(5) The DMF shall ensure there is no duplicacy in usage of funds.]^{3#}

Utilization of Trust Funds

17. ²[The funds available with the Trust shall be utilized for -

(A) *High priority areas* - At least ³[70%] fund shall be utilized under following heads -

(a) *Drinking water supply* - Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including stand-alone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.

(b) ¹[Environment preservation and pollution control measures - Effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water and other water sources in the region, measures ³[for controlling] air and dust pollution -

2. MCDR Rules, 2017 Amendment vide G.O.I. Ext. Part II, Section 3, No. 632, dated 03.11.2021.
3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025
3#. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, measures for working or abandoned mines, other air, water and surface pollution control mechanisms, preparation of scientific district survey report for environmental friendly and sustainable

mine development and providing necessary equipment and personnel for the creation of technical infrastructure to control illegal mining/transportation with the purpose of environmental protection and pollution control.]¹

^{3#}[Identification of mineral-specific pollutants and their hazard potential may be done by involving reputed educational institutes/research institutions. The fund may be allocated for the identification of the hazards, setting up air quality monitors and displays, and undertaking measures for the implementation of the recommendations of the research;]^{3#}

(c) **Health care-**The focus must be on ³[people whose health is affected due to mining,] creation of primary/secondary/tertiary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of providing necessary staff, ³[(Doctors/paramedical/ support staff),] equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Mines Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illness and diseases, ³[mobile health care units in the mining affected areas.] Group insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons;

(d) **Education-** Construction of school/ ³[college/vocational training institute] buildings, additional class rooms, Laboratories, Libraries, arts and craft room, toilet blocks, drinking water provisions, residential hostels for students/teachers in remote areas, sports infrastructure, vocational training facility, engagement of teachers/other -

1. DMF First Amendment Rules, 2020 vide No. 436/LXXXVI-2020-132-2016T.C.-II, dated 18.03.2020
3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025
^{3#}. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles/ rickshaws/etc) and nutrition related programs. ³[Financial support to students of affected areas for pursuing education in Government/Government aided institutions of higher education;]

- (e) **Welfare of women and children** - Special programs for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, adolescence, infectious disease, etc. can be taken up under the Trust.
- (f) **Welfare of aged and disabled people**- Special programme for welfare of aged and disabled people³[and financial assistance to District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs);]
- (g) **Skill development**³[and **Livelihood generation**]- Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The project/ schemes may include training, development of vocational/skill development center, self employment schemes, support to Self help groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities,³[works to improve and showcase the arts and crafts of the affected people and areas, collection and processing of minor forest produce;]
- (h) **Sanitation** - Collection, transportation and disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage and sewage treatment plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.
- ^{3#}[(i) **Housing**- Provision of Pucca housing for mining affected people not covered under central or state schemes;
- (j) **Agriculture**- Activities related to Agriculture, Horticulture and Agroforestry. Assistance to farmers through trainings, support to Farmer Producer Organization (FPOs)/collectives/cooperatives, support for setting up of food processing units, storage including cold storage, marketing facilities like market yards etc., plantation, processing of medicinal herbs;

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

3#. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

- (k) **Animal Husbandry**: Promotion of livestock, poultry, piggery, fishery, feed and fodder development and supporting innovation in animal husbandry, Farmers Producer Organizations (FPOs), Self Help Groups (SHGs), Farmer Cooperative Organisations (FCOs).
] ^{3#}

(B) Other priority areas - Up to ³[30%] Fund shall be utilized under the following heads -

- (a) Physical infrastructure** - Providing required physical infrastructure and its maintenance roads, bridges, railway and waterways projects.
- (b) Irrigation** - Developing alternate source of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques. ³[assistance for micro irrigation facilities including drip irrigation, assistance for bore wells and pump energization.]
- (c) Energy and Watershed development** - Development of alternate source of energy and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic and restoration of catchments.
- (d) Any other measures for enhancing environmental quality in mines bearing district -**
 - (i) The overall development of the area affected by mining related operation in the District in accordance with the Annual Action Plan prepared by the trustees of the Foundation for the purpose;
 - (ii) Creation of the local infrastructure for socioeconomic purposes;
 - (iii) Providing, maintaining or upgrading of community assets and service for local population in the area affected by mining related operations;
 - (iv) Organizing or conducting training programmes for skill development and capacity building for creating employment and self-employment capabilities;

3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025

Provided that a sum not exceeding 5% of the total funds received by the Trust in the year may be spent by the Trust for meeting its administrative or establishment expenses:

Provided further that the trust fund or any part thereof shall not be used for

advancement of any loan or grants in cash to any of the beneficiaries:

Provided also that the trust fund or any part thereof shall be used for such purposes as directed by the Central Government/ State Government from time to time.]²

^{3#}[(C) A minimum of 70% of the DMF funds shall be spent only in the directly affected area as specified in rule 2A.]

Accounts and audit	18.	³ [Omitted]
Monitoring of the amount payable to the Trust	19.	(1) Every lessee shall remit the amount payable to the District Mineral Foundation Trust into the credit of such Bank account as the Foundation may specify, under intimation to the officer to whom the royalty is payable. (2) Every officer who is authorized to collect royalty shall maintain a register of the amount payable and paid by each lessee and furnish the monthly consolidated statement thereof to the Member Secretary of the Committee at the end of every month. (3) To ensure a better coordination synergy among the schemes, the platform constituted under District Development Coordination and Monitoring Committee initiative of Ministry of Rural Development Government of India will monitor the schemes under PMKKKY at the district level in accordance with guidelines of the said committee.
Administrative Arrangements	20.	(1) The State Governments shall provide services of the personnel under their control including employees working in the District Panchayat for management of the Trust and for execution of the Annual Plan as may be required for the purpose. (2) The Trust may request the State Government to provide required number of core personnel from its departments or from regular employees of the Zila Parishad or such other

2. MCDR Rules, 2017 Amendment vide G.O.I. Ext. Part II, Section 3, No. 632, dated 03.11.2021.
3. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025
^{3#}. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

cadre, for providing administrative and technical assistance to the Trust. Services of such personnel shall continue to remain in their own respective cadres. The Trust may bear expenditure up to 3% of its accrued funds for this purpose.

(3) The Trust may also ask service providers to provide such services as may be needed for smooth functioning of the

Trust and may provide for incurring contingent expenditure for its functioning.

Liability of Trustees	21.	(1) The Trustees shall not be liable on account of anything done in good faith, bonafide with due diligence. The Trustees shall also not be liable or responsible for any banker, broker, custodian or other person in whole hands the same may, in good faith, be deposited or placed nor for the deficiency or insufficiency in the value of any investments of the Trust Fund nor otherwise for any involuntary loss. (2) The Trustees and every attorney or, agent appointed by the Trustees shall be entitled to be indemnified out of the Trust Fund in respect of all liabilities, losses and expenses incurred in execution of the Trust or any of the powers, authorities, and discretions vested in or delegated to them other than those arising out of gross negligence and / or willful misconduct, provided however that, such indemnity shall not in any event exceed the total of the Contributions.
Remuneration	22.	The Trustees shall not be entitled to any remuneration for their services.
The Seal of the Trust	23.	The Trustees, in a meeting of the Governing Council may decide to provide a Seal for the purpose of the Trust and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof. The Seal of the Trust shall remain in the custody of the Chairman of the Executive Committee and the Chairman shall have the authority to use the same for and on behalf of the Trust.
Revocability	24.	This Trust is revocable at the discretion of the State Government. The Trust shall continue to exist till such time as may be decided by the State Government. At the time of extinguishment of the Trust, all the assets and the liabilities of the Trust shall be transferred to the State Government.
Five years perspective planning and yearly plan	3# [25.	(1) For complete coverage of all affected people and areas in a systematic and time- bound manner, long-term planning is essential. For proper utilization of funds for the implementation of works using District Mineral Foundation (DMF) funds, the Districts shall conduct a baseline survey through Academic Institutions/ renowned organisations/ agencies for perspective plan formulation. Gram Sabha/Local Bodies may aid in preparation of need assessment reports. The DMF may also use the baseline survey undertaken by any Department, if available. The reference and major findings of the surveys shall be included in the Perspective Plans under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) for the District. (2) Based on the findings and gaps as identified through the baseline survey or any such survey/assessment, the DMF shall prepare a strategy for five years and the same shall be included in the Perspective Plan. The five year Perspective Plan shall be prepared taking into account current balance available and likely accrual to the DMF over a period of five

years. The five year Perspective Plan shall be disaggregated into year-wise action plans.

- (3) The five year Perspective Plan shall have separate sections on all priority sectors like drinking water, health, education, welfare of women and children, *etc.* and other sectors like roads, irrigation, *etc.*
- (4) The five year Perspective Plan shall be approved by the Governing Council of the DMF and displayed on the website of the DMF.
- (5) The Annual Plans of the DMF to be approved by Governing Council each year shall be based upon the five year perspective plan and success achieved in fulfilling its targets in earlier years. The Annual Plans may include some other works and expenditures considered urgent in nature although not included in the perspective plan to a maximum extent of 10% of the annual plan.
- (6) The State Government may empanel renowned organisation/ agencies/ universities for conducting the baseline surveys and preparing five year perspective plans.
- (7) The Governing Council shall approve the five years perspective plan and annual plan comprising of list of projects to be taken up in financial years.]^{3#}

**Restriction on
fund transfer
from DMF**

^{3#} [26.

- (1) In respect to the DMF funds of the districts,—

- (i) No fund shall be transferred in any manner from the District Mineral Foundations to the State exchequer or State level fund or Chief Minister's Relief Fund or any other funds or schemes.

No sanction or approval of any expenditure out of the fund of the District Mineral Foundation shall be done at the State level by the State Government or any State level agency;

3#.

DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

- (ii) No fund shall be spent outside directly or indirectly affected areas within a district as defined in rules 2A and 2B;
 - (iii) No fund shall be transferred in any manner from one district to another district.

**Transparency
and
Accountability**

3# [27.

- (2) The approval of expenditure of funds from DMF shall lie solely with the Governing Council of DMF. The State Government or State level Committee shall not have overarching authority on sanction of projects, approval of funds/expenditure and their function shall be limited to monitoring effective implementation of the projects sanctioned.]^{3#}

- (1) Each Foundation will prepare and maintain a website /or a specific section on the website of the District Administration on which, *inter-alia*, the following information will be hosted and kept updated:–

- (i) Details of composition of the Governing Council and Managing Committee of DMF;
- (ii) List of are as and people affected by mining (including periodic updation);
- (iii) Quarterly details of all contributions received from lessees and others;
- (iv) All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the DMF;
- (v) 5 years Perspective Plan, details of investment of endowment fund, Annual Plans and budget, work orders and Annual Report within 30 days of issuance of the document;
- (vi) Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken under PMKKKY shall be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress up to the previous quarter *etc.*;
- (vii) List of beneficiaries under various welfare programs;
- (viii) Voluntary disclosures under the Right to Information Act,2005 (Act no. 22 of 2005);

3#.

DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

- (ix) Information, Education and Communication (IEC) activities to create awareness regarding schemes implemented under PMKKKY through social media, films, videos *etc.*
- (2) Description of the project and amount sanctioned shall be displayed on a notice board at the project site.

		(3)	The District Mineral Foundation (DMF) shall share information pertaining to performance of DMF including deposit of funds and implementation of works to the State Government and Ministry of Mines, Government of India as per the formats prescribed and manner specified.
		(4)	For facilitating administration of DMF, each DMF shall compulsorily upload sanctioned projects released funds and monitoring execution of projects on online portal developed by the Central Government.] ^{3#}
Grievance Redressal	^{3#} [28.	(1)	The DMFs shall devise and implement a grievance redressal mechanism so that each grievance is redressed, and a suitable reply is given to the complainant within 30 days of making a complaint to the Collector or any other officer as may be notified.
		(2)	The State Government on receipt of any complaint/public grievance, shall ensure each grievance is redressed by DMF and a suitable reply is given to the complainant within the stipulated timeframe.] ^{3#}
Compliance mechanism	^{3#} [29.	(1)	In case a DMF,—
		(a)	fails to maintain an endowment fund as mandated in rule 32;
		(b)	transfers any fund in violation of rule 26.
		(c)	fails to comply with any of the clauses in rule 27.
		(d)	fails to get the accounts audited as mandated in rule 12(2);
		(e)	fails to prepare and publish annual report as mandated in rule 9(ix) and 12(6);
		(f)	fails to follow directions of State Government in rule 28;
			the State Government may direct,—

^{3#}. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

- (i) suspension of sanction of any or all new works or execution of any or all of already sanctioned works; and/or
- (ii) suspension of release of funds for any or all the works by the bank(s) where DMF fund is deposited or the bank account of the executing agencies where funds have been transferred from DMF.

			(2)	The State Government may after being satisfied that necessary corrective measures have been taken, withdraw such suspension.] ^{3#}
State Monitoring Committee	Level	3# [30.	(1)	State Level Monitoring Committee shall be constituted at the State level under the Chairpersonship of the Chief Secretary with Secretary of Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, Finance and Planning Department, and one representative of Ministry of Mines, Government of India as members.
			(2)	The Secretary of Geology and Mining Department, Uttar Pradesh who supervises DMFs in the State shall be the Member Secretary of the State Level Monitoring Committee.
			(3)	The Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh shall constitute a cell to be called —State Level Nodal DMF Cell for monitoring activities of DMFs in the State and shall act as the Secretariat to the State Level Monitoring Committee.
			(4)	Powers and functions of State Level Monitoring Committee (SLMC)—The State Level Monitoring Committee shall monitor performance of DMFs under PMKKKY and compliance of transparency norms, audit and annual report of DMFs.
			(5)	Meetings of State Level Monitoring Committee (SLMC)—The State Level Monitoring Committee shall meet at least twice in a year.] ^{3#}
Project Management Unit		3# [31.	(1)	In order to enhance the capacity of the District Mineral Foundation Trust and for effective utilization of District Mineral Foundation Trust funds, the District Mineral Foundation Trust with annual collection in the excess of Rs. 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning, technical, accounting and monitoring support and the cost of such Project Management Unit may be met from administrative expenses.
			(2)	The Project Management Unit may engage required qualified manpower on contractual basis. Engagement of personnel for projects under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana shall be purely contractual for a limited period only.
			(3)	As far as possible, no temporary/ permanent posts shall be created under the District Mineral Foundation. Any creation of temporary/ permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.] ^{3#}
Endowment fund		3# [32.	(1)	The districts having annual collection of Rs. 10 crore or more shall maintain an endowment fund.

- (2) The endowment fund may be invested in Government securities/bonds and Fixed Deposits (FDs) of scheduled banks.
- (3) A reasonable sum not exceeding 10% of the annual receipts shall be kept as endowment fund and the same shall be used for providing sustainable livelihood in areas where mining activity has stopped due to any reason including exhaustion of mineral.]^{3#}

**Implementation
of
works/Contracts**

^{3#} [33.

- (1) Works/goods shall be procured through Tender/ Government E-Marketplace (GeM) Portal.
- (2) Transfer of fund to all executing agencies and beneficiaries shall be through direct benefit transfer (DBT) only into their bank account.”]^{3#}

^{3#}. DMF Third Amendment Rules, 2025 vide No. 2605/LXXXVI-2025 (86-01099-250-2023), dated 29.09.2025 - Inserted

By order,
(MALA SRIVASTAVA)
Sachiv.